




## संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट


आज दिनांक 16.05.2018 को वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा के पत्रांक 3432/12-1 दिनांक 03.05.2018 के क्रम में आपत्तियों के निराकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग एवं वन विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा बाईपास चम्पावत हेतु ऑनलाईन प्रस्ताव की कमियों के निराकरण हेतु स्थलीय निरीक्षण किया गया जो निम्न निम्न प्रकार है:-

1. संरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है। अतः न तो संरेखण में बदलाव लाना सम्भव है, और न ही वृक्षों की संख्या को और कम किया जा सकता है।

  
उप प्रभागीय वनाधिकारी,  
चम्पावत

  
अधिशाली अभियन्ता,  
राष्ट्रीय राजमार्ग

  
सहायक अभियन्ता,  
राष्ट्रीय राजमार्ग

  
वन क्षेत्राधिकारी  
चम्पावत

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

पत्रांक 3214 / 12-1 दिनांक 16.5-2018

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :- टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125(नया 09) के चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग (प्रस्ताव संख्या 31090/2017)।

संदर्भ :- आपका पत्रांक 3432/12-1 दिनांक 03.05.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि आज दिनांक 16.05.2018 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125(नया 09) के चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग (प्रस्ताव संख्या 31090/2017) में आपत्तियों का निराकरण हेतु वन विभाग एवं प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर बिन्दुवार कमियों का निराकरण निम्न प्रकार किया गया।

1. संरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है। अतः न तो संरेखण में बदलाव लाना सम्भव है, और न ही वृक्षों की संख्या को और कम किया जा सकता है।

भवदीय,

*Handwritten signature*

प्रभागीय वनाधिकारी,  
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

*Handwritten signature*